न्या[illegible]लय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

नि0-1319-पी/16

1– रामदय[illegible] तनय कुल्ली यादव , 2– गोकल तनय कुल्ली यादव ,

3– कम[illegible]य लब्बू यादव , 4– भगवानदास तनय लब्बू यादव ,

सभी निबासी ग्राम डोंगरपुर, तह0 व जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 ....आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 25/4/16 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

1– वती तनय गिज्जू यादव , 2– चिन्दु तनय गिज्जू यादव ,

3– मुलुवा तनय गिज्जू यादव ,

सभी निबासी ग्राम डोंगरपुर , तह0 व जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 94/अपील /2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20/04/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 क्रमांक 03 मुलुवा तनय गिज्जू नामक ब्यक्ति के नाम से ग्राम डोगरपुर में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि राजस्व अथीलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थी , उपरोकत भूमि जरिये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र के दिनांक 01/03/1973 एवं 05/03/1973 कों जरिये वैनामा के मुलुवा से खसरा विभिन्न खसरा नंबरों की आवेदकगण द्वारा क्रय करके उपरोक्त भूमि पर विधिवत रूप से अपना नामांतरण दर्ज करवाकर तभी से लगभग 43 साल से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि पर बैनामा के उपरांत ओदकगण के नाम भी दर्ज हो गये थे। उपरोक्त वैनाम के उपरांत से आवेदकगण का नामांतरण होने के बाद से आज तक किसी भी ब्यक्ति द्वारा ना तो किसी प्रकार से नामांतरण या वैनामा को चैलेंज किया है ना ही आवेदकगण के शांतिपूर्ण कब्जें में किसी भी पक्ष द्वारा कोई दखल आदि दिया गया है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1319/II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **रामदयाल व अन्य वनाम वती व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.4.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायाल अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क्र0 94/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के वैनामा क्रमशः दिनांक 01/03/1973 एवं 05/03/1973 की छाया प्रतियां , तहसीलदार बड़ागांव धसान द्वारा प्र0क 90/अ6अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24/09/2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क्र0 22/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25/01/2016 की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियां , तथा वादग्रस्त भूमि के बर्ष 2026 से निरंतर 2001–02 तक के खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां सूचीबद्व करके प्रस्तुत कीं गई हैं। 2– यह कि आवेदकगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि अनावेदक क्रमाक एक व दो के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालय में एक अपील, ग्राम डोंगरपुर की नामांतरण पंजी क्रमाक 21 दिनांक 14/05/1973 के बिरूद्व करीब 43 साल बाद प्रस्तुत की गई है , जिसमें आवेदकगण को प्रतिपक्ष के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था। आवेदकगण द्वारा आ0 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर पक्षकार मान्य किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्तागणों के परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के आवेदनपत्र पर तर्क सुनकर उभपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा अंतिम तर्क हेतु सहमत होना लेख करके अंतिम तर्क श्रवण किये गये, जबकि आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपील बिलंब से प्रस्तुत होने पर धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र निरस्त करने का अनुरोध किया था अंतिम तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये थे, किन्तु उसे नजर अंदाज करके प्रश्नाधीन नामांतरण पंजी को निरस्त करके मुलुवा, वती, चिंटू के नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। यह भी बताया कि इसी निगरानी के साथ इसी भूमि से संबंधित एक निगरानी और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0 क्र0 93/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। बादग्रस्त भूमि बर्तमान में बान सुजारा बांध परियोजना में डूब में चली गई है, अधिग्रहण में धारा 04 की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, दावा आपत्तियां भी निराकृत होकर धारा 06 का प्रकाशन भी हो चुका हैं, धारा 07 में भूमि का अर्जन होकर उसके मावजा पत्रक भी तैयार हो चुके हैं। मात्र मुआबजा राशि के चैक बितरण होना शेष हैं। उपरोक्त मुआवजा पत्रक	

आवेदकगण के नाम से बने हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वादभूमि में कुंआ खोद लिये है, बैंकों से लोन भी ले लिया है। वादभूमि के अधिग्रहण के संबंध में धारा 04 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार धारा 04 की अधिसूचना जारी होने के उपरांत वादभूमि शासन के अधिपत्य में चली गई है, मात्र मुआवजा राशि के चैक बितरण होना शेष है। अनुविभागीय अधिकारी को अधिसूचना का प्रकाशन होने के उपरांत स्वत्व के निराकरण या नामांतरण परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकर नहीं रह जाता है। स्वत्व का अंतरण नियम 32 के अनुसार बर्जित है। यही तथ्य उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 05 के आवेदनपत्र पर तर्क के समय प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु उन पर घ्यान दिये बगैर एवं धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र निराकृत किये बगैर ही सीधा अंतिम आदेश पारित करके 49 साल पुरानी नामांतरण पंजी पर पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया, जो विधि के प्रवधानों के बिपरीत है। पहिले उन्हें धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र सकारण आदेश के द्वारा निराकृत करना था, तदुपरांत आगे विधिवत कार्यवाही करना थी जो नहीं की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20/04/2016 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

3– मैंने आववेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण करने के उपरांत, प्रश्नाधीन आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में नामांतरण पंजी क्रमांक218 दिनांक 14/05/1973 के करीब 43 साल उपरांत अपील प्रस्तुत की गई है। नामांतरण के उपरांत भूमि का बिक्रय भी हो चुका है जो आवेदकगण द्वारा क्रय की जा चुकी है, वह उस पर काबिज भी हैं। प्रस्तुत खसरा से यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण की वादभूमि पर आवेदकगण के नाम भी बिक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं अधिनस्थ न्यायालय के इस तथ्य को मान्य करने योग्य नहीं पाता हूँ कि, आवेदकण के अधिवक्ता द्वारा धारा 05 के आवेदनपत्र का निराकरण किये बगैर ही अंतिम तर्क हेतु सहमति प्रदान की गई होगी। जबकि उनके द्वारा धारा 05 पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसा अधिनस्थ न्यायायल के आदेश से ही स्पष्ट परिलक्षित होता है। जहां तक एस0 डी0 ओ0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में हुये बिलंब का प्रश्न है, यह विधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि सर्वप्रथम अवधि के प्रश्न पर सुसंगत आदेश सभी पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाइ का अवसर प्रदान करने के उपरांत पारित करना चाहिये , उसके पश्चात ही प्रकरण का निराकरण गुण दोंषों पर करना चाहिये, तदुपरांत विधि अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिये। धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र पर बोलता हुआ आदेश पारित करके, उसका निराकरण किये बगैर अपील का गुणदोषों पर निराकरण करके अंतिम आदेश पारित करना अधिकारिता रहित एवं विधि विरूद्व है। इसी प्रकार की ब्यवस्था 2008 एमपीजेआर(I) 366 एवं अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। बी नागराज वनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, ए. अई आर 1979 कर्नाटक 67 एवं रामकली देबी वनाम मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक 1998(9)सु0 को0 के0 558 सु0 को0 में भी इसी प्रकार की ब्यवस्था दी गई है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमाक 94/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अनुविभागीय

अधिकारी टीकमगढ़ को इस निर्देश के साथ बापिस किया जाता है कि वे पहिले अपील के साथ अनावेदकण द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र पर आवेदकगण से विधिवत जबाब लेकर, आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस आदेश की कंडिका कमाक 02 में दिये तर्कों को ध्यान में रखकर विधि अनुसार बोलते हुये आदेश के द्वारा बिलंब के बिन्दु का निराकरण करें। इस बात का बिशेष ध्यान रखा जाबे कि प्रकरण के सभी हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य, सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये, उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में विधिवत अवलोकन करने के उपरांत बोलता हुआ आदेश पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय अपने आदेश में इस बात का खुलासा अवश्य करें कि, यदि बे धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र को समय सीमा में मान्य कर रहे हैं, तो ऐसे बे कौन से आधार है तथा उनको क्यों और किस आधार पर मान्य करके बिलंब माफ किया जा रहा है। यदि आवेदन पत्र अमान्य किया जा रहा है तो किन आधारों पर अमान्य किया जा रहा है। जब तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील का निराकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रकरण की वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में पूर्ववत दर्ज रखे जाबें। प्रकरण की एक प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को पालनार्थ भेजी जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य